

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 260- 265 OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

IN THE COURT OF PANKAJ SHARMA JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, GOHAD DISTRICT BHIND

CASE NO. 2016 Name and address of the complaintant: मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र।
Name, parentage, caste and address of accused
राष्ट्रल जैन 8/6 आग-यन्द जैन उम् 24 माल निरु वाहि कु 8 अंगारी मीह्ल्लाका स्वा मी
The offense complained of, date of its alleged commission कि आपने 2150 वर्ष समय स्थान समय मी, जिला-भिण्ड पर
हाथ ठेला लगाकर/अन्य प्रकार से आम जनता के आवागमन में व्यवधान कारित किया। और ऐसा कर आपने वह अपराध किया जो धारा 34 पुलिस एक्ट के अधीन होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।
पंतर्ण शर्मा जे.एम एफ सी गोत्तर जिला भिण्ड
The Plea of acused and his examination (ff Any) विकास (म.प्र.)
धारा 206 द.प्र.सं का संमंस बाद तामील प्राप्त जिसमें अभियुक्त ने लिखित अभिवाक् कर स्वेच्छया से अपराध को का स्वीकार किया अभिवाक् पृथक से संलग्न है।
पंक्रज शर्मी जे.एम.का ती नोहर काम जेंगी गहिद जिला-भिण्ड (चित्र)

(<u>आज दिनांक : ०.८) १५ ।</u> को पारित किया गया)

01. उपरोक्त अभियुक्त को स्वेच्छ्या पूर्वक की गयी स्वीकारोक्ति के अभिवाक् के परिणामस्वरूप धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
02. आरोपी को धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दस रूपये (10 / रु) के अर्थदण्ड़ से दिण्ड़त `

किया जाता है।

03.. प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।

पंक्रज शर्मा जोएम एफ सी गोहद्ग जिला भिण्ड शेंडद, जिला-किण्ड (म.प्र.)